ग्राम पंचायत खुड्डी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खुड्डी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती आशा देवी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्री दुनी चन्द	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री दलीप सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत खुड्डी के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.61
2	9	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष होना	0.16
3	10	अनुदान राशि का उपयोग न करना	9.30
4	11	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय	0.97
5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.99

6	15	निर्माण कार्य खेल मैदान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खुड्डी में पाई गई अनियमितताएं।	0.67
7	16	निर्माण कार्य परीक्षा भवन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खुड्डी में अधिक भुगतान	0.11
8	18	राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.05

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत खुड्डी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2016 व 01.11.16 से 05.11.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2013–14	06/2013	10/2013
2014–15	09/2014	04/2014
2015–16	12/2015	03/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत खुड्डी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04. 2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158/2016 दिनांक 05.11.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खुड्डी से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत खुड्डी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)			व्यय (₹)		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	290955.20	53119.00	1042769	1386843.20	15991	964028	406824.20
2014–15	406824.20	30153.00	778329	1215306.20	8309	804303	402694.20
2015–16	402694.20	55180.50	966609	1424483.70	14129	749279	661075.70

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष

रोकड़ बही अनुसार ₹661075.70

पास बुक अनुसार ₹722361.20

(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, शाखा लड़भड़ोल, खाता संख्या 31510100017)

अन्तर ₹61285.70

नोटः– इसका सम्पूर्ण विवरण **"परिशिष्ट–1"** में बैंक समाधान विवरणी सहित दिया गया है।

(ख) मनरेगा

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	127789.43	1149184	1276973.43	1269925.00	7048.43
2014–15	7048.43	370849	377897.43	377790.00	107.43
2015–16	107.43	362626	362733.43	362733.43	0.00

दिनांक 31.03.2016 को अन्तशेष

रोकड़ बही अनुसार शून्य

पास बुक अनुसार शून्य

(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल, खाता सं0 31510100032)

(परिशिष्ट–2)

(ग) मिड हिमालयः–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	204949	25414	230363	59812	170551
2014–15	170551	24968	195519	15000	180519
2015–16	180519	46557	227076	39284	187792

दिनांक 31.03.2016 को अन्तशेष

रोकड़ बही अनुसार ₹187792

पास बुक अनुसार ₹187792

(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल, खाता सं0 31510108480)

(परिशिष्ट–3)

5 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करने के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि इनका रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है जिस कारण रोकड़ बही में पंचाचत की सही वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित सूचना परिलक्षित नहीं होती है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा वर्तमान अंकेक्षण में दिनांक 01.04.2013 को अथशेष बचत खाते के शेष में हस्तगत राशि को जमा करके दर्शाया गया है।

अतः पंचायत की सही वित्तीय स्थिति एवं नियमों की अनुपालना करते हुये रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:–

ग्राम पंचायत खुड्डी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खाते के साथ मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा वर्तमान अंकेक्षण अवधि के खातों में रोकड़ बही व बैंक खाते का मिलान कर दिया गया है तथापि भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ बही एवं बैंक खातों का नियमित रूप से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदान ₹0.61 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करने के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत खुड्डी की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही एव सम्बन्धित बचत खाते की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार प्राप्त अनुदान ₹61335 को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है:–

क्र0सं0	बचत खाते में जमा राशि की तिथि	राशि	टिप्पणी
1	26.4.2013	9000	यह अनुदान पंचायत द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे बचत खाते में प्राप्त किये गये थे
2	5.7.2013	12336	
3	7.9.2013	4675	
4	17.9.2013	13871	

5	14.10.2013	1279
6	18.01.2014	4050
7	08.04.2015	16104
8	20.10.2015	20
	योग	**61335**

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इतनी अधिक राशि के अनुदान को रोकड़ बही में दर्ज न करना एक गम्भीर अनियमितता तथा लापरवाही को परिलक्षित करता है जिस बारे में सम्पूर्ण स्पष्टीकरण देते हुये इस राशि को शीघ्र पंचायत रोकड़ बही में लिया जाए ताकि रोकड़ बही पंचायत की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित कर सके।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹0.16 लाख वसूली हेतु शेषः—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व ₹0.16 लाख की वसूली शेष थीः—

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013—14	22700	8675	31375	31000	375
2014—15	375	8675	9050	—	9050
2015—16	9050	8675	17725	1300	16425

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

10 **अनुदान ₹9.30 लाख का अवरोधनः–**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹930308 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 **प्राप्त अनुदानों से ₹0.97 लाख का अधिक व्ययः–**

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–4"** अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक ₹97014 प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय कर दी गई थी, जबकि नियमानुसार व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि किस मद से की गई थी बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाकर इस राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की राशि का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों में किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह राशि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन

समस्त राशियों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाए ताकि इन समस्त व्ययों की तदानुसार जाँच की जा सके।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹0.99 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹98735 के स्टॉक/स्टोर का क्रय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोंर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	दिनांक	फर्म का विवरण	बिल सं0	दिनांक	राशि (₹)	क्रय सामान का विवरण
1	मनरेगा	59	11.10.13	मै0 परस राम अच्छरू राम, लड़भड़ोल	5688	3.10.13	10537	सरिया आदि
2	सामान्य	53	11.10.13	–यथोपरि–	5687	3.10.13	21124	सरिया आदि
3	सामान्य	55	11.10.13	–यथोपरि–	5689	3.10.13	9884	सरिया आदि
4	सामान्य	64	25.10.13	मै0 रोशन लाल एण्ड सन्स, खुड्डी	041	15.2.13	10640	रेत+बजरी 280 cft
5	सामान्य	05	12.4.14	मै0 सोनी गुडस कैरियर, जोगिन्द्रनगर	209	21.2.14	20000	ईट 2500 नं0
6	सामान्य	95	11.3.16	श्री विजय सिंह, गाँव राइड, डाकघर सदर	021	1.2.16	12900	रेत 150 cft बजरी 150 cft

7	सामान्य	96	11.3.16	–यथोपरि–	020	शून्य	9000	रेत बजरी 300 cft
8	सामान्य	98	11.3.16	–यथोपरि–	023	4.2.16	2325	बजरी 75 cft
9	सामान्य	99	11.3.16	–यथोपरि–	022	4.2.16	2325	बजरी 75 cft
						योग	**₹98735**	

14 ₹0.69 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में ₹68543 का भुगतान/व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि (₹)	निर्माण कार्य
1	समाान्य	58	11.10.13	032482	1.9.13 से 30.9.13	43091	सामुदायिक भवन, सपडोह
2	सामान्य	102	28.3.16	032494	1.2.16 से 29.2.16	25452	म0म0 भवन खुड्डी
					योग	**68543**	

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मजदूरी के रूप में किये गये उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में कार्य की प्रगति की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन वाउचरों द्वारा किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाएं ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

15 निर्माण कार्य खेल मैदान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, खुड्डी हेतु भुगतान की गई ₹0.67 लाख की राशि में पाई गई अनियमितताओं बारेः–

ग्राम पंचायत की मनरेगा रोकड़ बही अनुसार वर्ष 2013–14 में वाउचर संख्या 63 दिनांक 25.10.2013 द्वारा ₹67200 का भुगतान श्री अजय बरवाल, रोपड़ी को उनके बिल संख्या 102 दिनांक 22.10.2013 के एवज में दर्शाया गया है। पंचायत द्वारा यह भुगतान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, खुड्डी के खेल मैदान को समतल करने हेतु लगाई गई जे0सी0बी0 एवं मिट्टी को उठाने हेतु लगाये गये इंकों हेतु दिया गया है।

किन्तु पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इस भुगतान से सम्बन्धित अन्य वाँछित अभिलेख जैसे कि माप पुस्तिका में कार्य प्रगति, निविदाओं से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त व्यय अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः इस कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उसकी तदानुसार जाँच की जा सके।

16 परीक्षा भवन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खुड्डी के निर्माण कार्य में सम्भावित ₹0.11 लाख का अधिक भुगतानः—

ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही एवं अन्य उपलब्ध अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त कार्य हेतु ₹85890 की मजदूरी का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया हैः—

क्र0सं0	वा0 क्रमांक	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि (₹)	टिप्पणी
1	4	12.04.14	032487	01.03.14 से 31.03.14	26790	खाता बही पृष्ठ संख्या 60 अनुसार
2	19	10.06.14	032489	01.05.14 से 31.5.14	34020	
3	43	10.09.14	032490	01.08.14 से 31.08.14	25080	
				योग	**85890**	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका 5823 पृष्ठ 78 से 81 अनुसार इस कार्य मस्ट्रोलों हेतु मजदूरों की कार्य प्रगति ₹85002 (52083+32919) दर्शाई गई है।

माप पुस्तिका एवं उक्त मस्ट्रोलों की जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका में Labour Enhancment 70**%** की दर से दी गई है जबकि उपरोक्त वर्णित तीनों मस्ट्रोलों में मजदूरों को प्रतिदिन ₹150 की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है एवं इस प्रकार माप पुस्तिका में कार्य प्रगति की गणना हेतु Labour Enhancement 70**%** के स्थान पर 50**%** ही देय थी। अतः 70**%** की दर से दी गई Labour Enhancement नियमानुसार नहीं है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

इसके अतिरिक्त 50% की दर से Labour Enhancement देने के उपरान्त उक्त कार्य प्रगति ₹75003 (₹45957+₹29046) ही बनती है। इस प्रकार पंचायत द्वारा मजदूरी के रूप में सम्भावित ₹10887 का अधिक भुगतान (₹85890–₹75003) किया गया है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा सम्बन्धित से वसूली की जाए।

17 वाटर स्टोरज टैंक, कुन्हैण निर्माण कार्य में मजदूरी के रूप में ₹0.05 लाख की सम्भावित अधिक अदायगीः–

ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान रोकड़ बही एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्य वाटर स्टोरेज टैंक, कुन्हैण हेतु मजदूरों की मजदूरी के रूप में ₹84498 का भुगतान निम्नविवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	मस्ट्रोल सं0	अवधि	राशि (₹)
1	38	26.8.13	032479	01.07.2013 से 30.07.2013	24426
2	57	11.10.13	032481	01.09.2013 से 30.09.2013	29626
3	78	26.12.13	032483	01.11.2013 से 30.11.2013	30446
				योग	**₹84498**

उक्त निर्माण कार्य की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका 2904 पृष्ठ 63 से 66 की जाँच में पाया गया कि इस कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रगति ₹82566 ही दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में संविदाकार लाभ एवं ओवरहैड चार्जिज के रूप में 15% के स्थान पर 10% राशि ही कम की गई है, जबकि नियमानुसार यह राशि 15% की दर से कम की जानी अपेक्षित थी।

अतः अगर संविदाकार लाभ व ओवर हैड चार्जिज के रूप में 15% की राशि को कम करने उपरान्त इस कार्य के विरूद्ध कार्य प्रगति ₹79535 बनती है, एवं इस प्रकार मजदूरी के रूप में ₹4963 (₹84498–₹79535) का अधिक भुगतान किया गया है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए।

18 ₹0.05 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

ग्राम पंचायत की मनरेगा रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि ₹5382 का भुगतान मजदूरों को निर्माण कार्य बावड़ी श्मशान घार, बलही हेतु वाउचर संख्या 38 दिनांक 11.10.2013 द्वारा मस्ट्रोल संख्या 2371 अवधि 18.09.2013 से 30.09.2013 के एवज में किया गया है। इस भुगतान से सम्बन्धित मजदूरों की प्रगति रिपोर्ट माप पुस्तिका 2904 पृष्ठ 62 की जाँच में पाया गया कि मजदूरों द्वारा इस अवधि में रेत एवं बजरी का ढुलान किया गया दर्शाया गया है।

जबकि इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित खाता बही की जाँच में पाया गया कि इस हेतु पंचायत द्वारा केवल एक ही बार रेत एवं बजरी का क्रय श्री बुद्धि सिंह, गाँव व डाकघर सदर से बिल संख्या 189 दिनांक 16.11.2013 द्वारा किया गया है एवं जिसका भुगतान वाउचर संख्या 12 दिनांक 11.09.2015 द्वारा किया गया दर्शाया है।

अतः उपरोक्त वर्णित सामग्री के क्रय से पूर्व मनरेगा के अन्तर्गत सामग्री की ढुलाई से सम्बन्धित मस्ट्रोल में दर्शाई प्रगति अपने आप में संदेहास्पद है। क्योंकि सामग्री का ढुलान उसके क्रय उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सम्बन्ध में विभागीय जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित सम्बन्धित से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान की गई ₹1354 की वसूली करने बारेः–

(क) ग्राम पंचायत की मनरेगा रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि वाउचर संख्या 40 दिनांक 11.10.2013 द्वारा निर्माण कार्य RWH, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खुड्डी हेतु ₹6293 का भुगतान मजदूरी के रूप में मस्ट्रोल संख्या शून्य अवधि 18.9.2013 से 30.9.2013 हेतु दो मिस्त्रियों को किया गया है। किन्तु जाँच में पाया गया कि इन मिस्त्रियों की उपस्थिति दिनांक 16.9.2013 एवं 17.9.2013 की भी दर्शा कर इस अवधि का भी भुगतान किया गया है, जबकि मस्ट्रोल ही इस कार्य हेतु दिनांक 18.09.2013 को जारी हुआ था। अतः मस्ट्रोल जारी होने से पूर्व किया गया भुगतान अनियमित व आपत्तिजनक है, जिसकी वसूली ₹868 (217X4) सम्बन्धित दोषियों से शीघ्र करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा मनरेगा रोकड़ बही में वर्ष 2015–16 में वाउचर संख्या 51 दिनांक 25.3.2016 द्वारा ₹17334 की मजदूरी का भुगतान मस्ट्रोल संख्या 3961 दिनांक/अवधि 01.3.2016 से 15.3.2016 की एवज में किया गया है। जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल की क्रम संख्या 1 में वर्णित मजदूर श्रीमती सकीना देवी दिनांक 9.3.2016 से 11.3.2016 तक अनुपस्थिति दर्शाई गई थी किन्तु बाद में मस्ट्रोल में अधिलेखन कर उन्हें उपस्थित दर्शाकर इस अवधि का भुगतान उन्हें कर दिया गया था। अनुपस्थिति मजदूर को अधिलेखन उपरान्त उपस्थित दर्शाकर भुगतान की गई मजदूरी बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अधिक भुगतान की गई मजदूरी ₹486 (162X3) की वसूली सम्बन्धित सें करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

21 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 विविधः—

(क) ग्राम पंचायत की मनरेगा रोकड़ बही में वर्ष 2013—14 में वाउचर संख्या 41 दिनांक 25.10.2013 द्वारा ₹1500 का भुगतान श्री कुशल कुमार, लड़भड़ोल को बिल संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा 100 बैग सीमेन्ट की ढुलाई भड़ोल से सपड़ोह तक दर्शाया गया है। किन्तु उक्त ढुलान जिस सीमेन्ट का किया गया है उससे सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उक्त ढुलान जिस सीमेन्ट का किया गया है उसके क्रय से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली दोषियों से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा स्व स्त्रोत एवं विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही में से ₹2998 का भुगतान मै0 जागरण प्रकाशन, कानपुर को वाउचर संख्या 61 दिनांक 11.10.2013 द्वारा किया गया है। जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा 16x16 sqcm हेतु भुगतान दर्शाया गया है, किन्तु वाउचर के साथ उपलब्ध अभिलेख/अखवार/समाचार पत्र की प्रति अनुसार विज्ञापन 8x12sqcm का प्रकाशित किया गया है एवं इस प्रकार फर्म को ₹1661 की राशि ही देय थी। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹1337 की वसूली सम्बन्धित फर्म से करने उपरान्त पंचायत खाते में शीघ्र जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उक्त विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त व्यय को नियमित नहीं किया जा सकता है। अतः इसकी स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

23 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 14/2017—खण्ड—1— 2514—2517 दिनाँकः09.05.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत खुड्डी विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046